

न्यायालय अति० जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

सौरभ कावडिया पुत्र भोपाल सिंह
निवासी - शास्त्रीनगर,
जिला भीलवाड़ा वगेरा

बनाम

अशोक कुमार यादव
खाद्य सुरक्षा अधिकारी, भीलवाड़ा

किस्म मुकदमा- विविध प्रार्थना पत्र

प्र० संख्या 193 / 2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामीर में जारी हुए
27.11.2025	बाद जांच प्रार्थना पत्र पेश हुआ जो दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रत्यर्थी को जरिये नोटिस तलब किया जाकर मिसल दिनांक 29.01.2026 को पेश करें।	
29-1-26	पतावली पेश हुई। उभयपक्षा उप० / पुनर्विनिर्णयकर्ता अधिवक्ता ने इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सं.सं. 30/2025 खा.सु. दि. 13-8-25 के Review पर बहस हेतु अवसर चाहा गया है अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रा० 03-2-26 को पेश हो।	
3.2.26	पतावली पेश हुई। उभयपक्षा अधिवक्ता उप०। प्रकरण में उभयपक्षों की दलीलें सुनी गरी व पतावली में अवलोकन पर पाया गया कि उक्त प्रकरण सं० 30/2025 दिनांक 13.8.2025 से निर्णित किया जा चुका है। पुनर्विनिर्णयकर्ता स्वयं न्यायालय में पारजोही करने हेतु स्वयं ही अतः उक्त पुनर्विनिर्णय प्रा० पत्र बनी हए पर अतिरिक्त किया जाया है पतावली खा० से नम होकर फैलल हुआ है।	

Dr. 27.11.25
अति० जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

Dr. 29.1.26
अति० जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

Dr. 3.2.26
अति० जिला कलक्टर
भीलवाड़ा